



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

No. 245]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सा.का.नि. 309(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 173, धारा 175, धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 184, धारा 185, धारा 186, धारा 187, धारा 188, धारा 189, और धारा 191 के साथ पठित धारा 469 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) संशोधन नियम, 2017 है।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 में नियम 15 के उप-नियम (3) में, खंड (क) में—
 - (क) मद संख्या (i), मद संख्या (ii), मद संख्या (iii) और मद संख्या (iv) में “दस प्रतिशत से अधिक” शब्द जहां कहीं भी आते हैं, के स्थान पर “दस प्रतिशत या उससे अधिक” शब्दों को रखा जाएगा; और
 - (ख) मद संख्या (iii) में “आवर्त का दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “आवर्त का दस प्रतिशत या उससे अधिक” शब्दों को रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/32/2013-सीएल-V-भाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. सं. 240(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :—

क्र. सं.	अधिसूचना संख्यांक	तारीख
1.	सा.का.नि. 398(अ)	12 जून, 2014
2.	सा.का.नि. 590(अ)	14 अगस्त, 2014
3.	सा.का.नि. 206(अ)	18 मार्च, 2015
4.	सा.का.नि. 971(अ)	14 दिसंबर, 2015

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2017

G.S.R. 309(E).—In exercise of the powers conferred under sections 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 and section 191 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2017.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, in rule 15, in sub-rule (3), in clause (a)—
 - (a) in item (i), item (ii), item (iii) and item (iv), for the words “exceeding ten per cent.” wherever they occur, the words “amounting to ten per cent. or more” shall be substituted; and
 - (b) in item (iii), for the words “ten per cent. of turnover” the words “ten per cent. or more of turnover” shall be substituted.

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 240(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended *vide* notifications as detailed below:—

Sl. No.	Notification Number	Date
1	G.S.R. 398(E)	12 th June, 2014
2	G.S.R. 590(E)	14 th August, 2014
3	G.S.R. 206(E)	18 th March, 2015
4	G.S.R. 971(E)	14 th December, 2015